673वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 सितम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. **Case No 9703/2023 Shri Yatish Jain, Executive Engineer, Division No. 1, Bhopal Development Authority, Pragati Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for area development project "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) [Total Plot Area-2269107.6 sqm, Total Built-up Area-1443221.17 sqm) at Village- Misrod, Jatkhedi, Bagli, Katara and Barrai of Bhopal district, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP). Category-8-b,**

This is case of Prior Environment Clearance for Area Development Project of "Infrastructure Development Work of 45M Wide Master Plan Road (TDS-201/2020) [Total Plot Area-2269107.6 sqm, Total Built-up Area-1443221.17 sqm) at Khasra No. 1549, 1551, 1552(P), 45/1, 47/1, Village-Jhagriya, Katara, Bagli, Bhopal, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (M.P.) Cat. - 8(b) Township and Area Development Projects.

In the SEAC 631st meeting dated 18.03.2023 the case was presented by Env. Consultant Shri Krishan Chandra Panda, M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Gaziabad, UP and PP Shri Yatish Jain, (online) Executive Engineer, Division No. 1, Bhopal Development Authority, Bhopal.

During presentation it was observed by the committee that as per the Google image uploaded online and presented by the PP, it was observed that many developmental activities and developed colonies were in existence within the project boundary and appears to be case of violation for which PP and consultant submitted that these projects

are not part of this scheme and project boundary is wrongly marked on Google Image. They have not started any construction proposed in this project. Thus committee instructed PP to upload correct boundary of the proposed project for further consideration of this case.

Vide dated 17.04.2023 PP has uploaded on line query reply on PARIVESH portal which was asked in the in the SEAC 631st meeting dated 18.03.2023.

Hence, the case was scheduled in the 640th SEAC meeting dated 26/04/2023 for queries as desired in the earlier SEAC meeting for issue of TOR , wherein Env. Consultant Himanshu Goyal & Shri Krishan Chandra Panda (on-line) from M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Gaziabad, UP and PP Shri Yatish Jain, Executive Engineer, and Shri S.K. Mishra , SE Division No. 1, Bhopal Development Authority, Bhopal. Wherein it was observed that PP has submitted –

- T&CPO approval letter with map vide letter no. 1193 dated 09.05.2022.
- Affidavit explaining area statement of the proposed development project.
- Google map of net scheme area.

Wherein PP submitted that:

- Town and Country Planning department approved master plan area 316.04 hectare (approved vide letter no. "Kramank 1193 SA044/DHARA 27-28 Bhopal/Jika.Bho./2022" Bhopal dated 9.05.2022).
- The area reconstituted for development comes out to be 226.911 hectare after leaving the already sanctioned area by T&CP and Abaadi area i.e. 89.129 hectare.
- The Net planned area for the development is 226.911 hectare which is clearly mentioned in the approved T&CP layout plan.
- The Abaadi area and the already approved area admeasuring 89.129 hectare are demarcated in the boundary of the master plan but application for the Environment Clearance has been made excluding the Abaadi area & already approved area.
- It is submitted that this 89.129 hectare area is not the part of the application made for Environment Clearance and Net Area for Environment Clearance is 226.911 hectare (reconstituted area).
- Available Reconstituted land admeasuring 226.911 hectare will be developed as per the "Gazette of Madhya Pradesh (Asadharan), Pradhikar Se Prakashit, kramank 67] Bhopal, Somvar, Dinank 17 February 2020-Magh 28, Shak 1941."

- It is undertaken that, the proposed development is only an Area development project under which only infrastructure works like road networks (45m, 30m, 20m, 12m and other trunk road), water, sewerage & STP etc. will be undertaken.
- There will be no construction done by Bhopal Development Authority. Separate Environment Clearance(s) will be obtained for concerned development of the plot owners if proposed development inside the scheme will fall under EIA notification 14.09.2006.

After presentation, in the SEAC 640th meeting dated 26.04.2023 Committee recommended to issue standard TOR as prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.
2. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
3. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
4. As proposed increase the green cover area upto 12.0 ha. area and see that after planting period of 05 years green canopy cover shall not be less than 25 percent. Hence, proposed green cover with unifomalily space in the EIA report with category-wise plantation in the road side, peripheral plantation as suggested during meeting by the committee.
5. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
6. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
7. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
8. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
9. Surface water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
10. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.

11. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
12. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.

PP has submitted the EIA report online on Parivesh Portal to SEIAA and same was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal hence, the case was scheduled for EIA presentation in the SEAC 663rd dated 27.07.2023.

The EIA was presented by PP Shri Yatish Jain, Executive Engineer and their Env. Consultant Shri Krishan Chandra Panda from M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Gaziabad, U.P. Wherein PP submitted that Bhopal Development Authority, Bhopal proposes an area development project "Infrastructure Development Work of 45 M Wide Master Plan Road (Town Development Scheme No. 201/2020) Misrod-Barrai, Bhopal" located at villages Misrod, Jatkhedi, Bagli, Katara, Barrai, Bhopal (MP). The total area of scheme is 3159177.60 sqm (315.9177 Ha), out of which 890070 sqm (89.007 Ha) area is already developed. Therefore, the proposed net total scheme after reconstituted plotting area is 2269107.6 sqm (226.911 Ha) which is contiguous in nature. The proposed permissible Built-up area is 1443221.17 sqm. The proposed area development project is divided into three Sectors: Sector I, Sector II & Sector III.

PP presented further following points:

- The area reconstituted for development comes out to be 226.911 hectare after leaving the already sanctioned area by T&CP and Abaadi area i.e. 89.129 hectare.
- The Abaadi area and the already approved area admeasuring 89.129 hectare are demarcated in the boundary of the master plan but application for the Environment Clearance has been made excluding the Abaadi area & already approved area.
- Available Reconstituted land admeasuring 226.911 hectare will be developed as per the "Gazette of Madhya Pradesh (Asadharan), Pradhikar Se Prakashit, kramank 67] Bhopal, Somvar, Dinank 17 February 2020-Magh 28, Shak 1941."
- There will be no construction done by Bhopal Development Authority. Separate Environment Clearance(s) will be obtained for concerned development of the plot owners if proposed development inside the scheme will fall under EIA notification 14.09.2006.
- The green area provided was 11.36 Ha which has been increased by 13.579 Ha. The green belt is distributed as peripheral plantation (2 & 3 row plantation), single row peripheral and Median plantation all along the 45m, 30m & 24m road network. All

the open areas are proposed to be converted to dense plantation (@1200 plants/hectare).

- Trees Total no of trees to be planted including Compensatory plantation =26494

After presentation committee observed following information is to be submitted / revised by PP.

- The proposed net total scheme after reconstituted plotting area is 2269107.6 sqm (226.911 Ha) hence, a lay-out map which also include proposed green area shall be submitted.
- PP's commitment that the some residential temporary sheds within the net total scheme in which people are residing they shall be considered during re-constitution of plots
- PP's commitment that the BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.
- Revised plantation scheme & species of green area in the 13.579 Ha as suggested by the committee.
- PP's commitment that proposed project shall be developed as per Green Building Code-1.
- Geo-hydrological study has not been done for the project properly.
- Estimate the vehicle pollution in terms of ECS and their pollution management,
- Contribution of solar light w.r.t. total power consumption & no. of poles and lights,
- Carbon footprint assessment & their source and mitigation measures,
- Revised wastewater calculation & new design and technology of STP with proper justification.
- Justification regarding incremental value of all the 5 parameters of the air.
- Revised the CER scheme as suggested by the committee.

The project proponent submitted query reply on PARIVESH Portal on dated 19.08.2023. which was asked by the SEAC committee in the 663th meeting held on 27.07.2023.

Hence, the case was scheduled for presentation wherein query reply was presented by Shri Yatish Jain, Executive Engineer and their Env. Consultant Shri Krishan Chandra Panda from M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Gaziabad, U.P.

Following points presented by PP:

- Site Layout plan of 226.911 Ha. including the proposed green area was submitted by PP.
- BDA will construct only road networks for the purpose of Area Development in the net reconstituted area (226.911 Ha.).
- Inside the Scheme boundary, the temporary sheds falling are of the local land parcel owners. Temporary sheds falling in the plots except road network will remain as it and the development shall be considered as per the Town Development Act published in Madhya Pradesh Gazette kramank 67 dated17.02 2020 Rule 3 clause n –I (the authority shall return to the extent possible 50 % of the original plot to the landowners attached as Annexed .
- All the details of the landowners have been submitted in the EIA/EMP report.
- BOD levels will be maintained up to 3.0 mg/l in the proposed STP using latest technology available (MBBR with UF and UV/MBR with UV).
- For sludge management centrifuge/filter press shall be proposed along with the treatment unit for better disposal.
- Plantation scheme has been revised to 15.179071 Ha. from 13.579 Ha. as per recommendation by committee.
- No. of trees has been increased from 26494 to 30494.
- Project shall be developed under Green Building Code-1 (in concurrence with NBC, state bye- laws and ECBC).
- Geo-hydrological status has been assessed for the area development project and its study area, report was submitted.
- Total connected load = 7.0 MW approx. for running of Basic amenities provided within the proposed development.
- Total No of electric Poles with solar lightening to be mounted in the median of the roads= 900 Solar lights approx. As per the effective road network, structure of the project total road length is 24 KM.

  It is proposed that as per standard design one solar light shall be proposed at every 30m Distance.
- As, Solar street LED light of 80w suitable for pole height 8 meters Specification: Lithium Ferro phosphate- P04 Battery 30 AH/12.8V.
- Module 12V 80W Joint Solar along with hardware and Accessories.
- Contribution of solar light =72000 watts= 72.00 KW Contribution of solar sights = 72/7000 *100 = 1.02 % of the total power demand.
- Carbon footprint assessment with source of Carbon generation and mitigation measures report and Wastewater calculations along with the schematic diagram of the STP with its specification was submitted.

- Maximum Ground Level Concentration for all the primary pollutants has been assessed and incremental load has been submitted.
- ER has been revised and proposed as per the suggestions of the Committee.

The committee after deliberation decided that PP shall also submit/ clarification on following points:

- PP shall elaborate types of amenities are proposed in the BDA plots & other private plots with area and shall be depicted on the map.
- Submit amenities which are approved by the T&CPO with location of cremation ground (Shamshan Ghat), hawkers corners, public service plots.
- Exact green area of total plot area with revised plantation scheme/ species as Kusum, Biza, Haldu, Tinsa, Anjan, Dahiman, Padar be given preference & nos. of trees and fencing for protection of trees etc. with appropriate budget in the EMP as suggested by the committee.
- Proposerd contribution of solar light shall be 30 % of total power consumption.
- Recharge rate of the area, Provision for fire safety etc.
- Calculate vehicles movement numbers which shall include Aganwadies, nursing homes, School etc.
- Re-calculate Carbon footprint assessment w.r.t. concrete application.
- Revised water demand details which shall include existing, floating populations then STP of optimum capacity.
- Revised CER.

2. **Case No 8732/2021 Shri Kanhaiyalal Parmar S/o Shri Bherulal Parmar, Ward No. 4, Kanad Agar, Dist. Agar Malwa, MP - 456441 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.767 ha. (10104 cum per annum) (Khasra No. 142/1), Village - Arniya, Tehsil - Agar, Dist. Agar Malwa (MP).**

प्रकरण समिति की पूर्व की 522वीं बैठक दिनांक 27/10/21, 525वीं बैठक दिनांक 10/11/21 एवं 535वीं बैठक दिनांक 16/12/21 को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार उपस्थित न होने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध कर सिया को प्रेषित किया गया था ।

प्रकरण सिया ने रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 03/08/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Kanhaiyalal Parmar एवं उनकी ओर से कोई पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए । परिवेश के ऑनलाइन फार्म–2 में भी पर्यावरण सलाहकार का नाम नही दिया गया है, अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिए गए कि नेबिट

एक्रीडेटेड पर्यावरण सलाहकार को नियुक्त कर पुनः सिया के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करें ।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 21/08/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 01/09/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री नरेश देसाई ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए।

प्रस्ततीकरण के दौरान समिति ने पाया की परिवेश पोर्टल पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोडेड गुगल ईमेज (के.एम.एल) ओपन नहीं हो रहीं हैं। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये की गुगल ईमेज (के.एम.एल) पुनः प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

3. Case No 8492/2021 M/s. Dargawan Quartza Mine, Mine Owner, Shri Brijesh Soni, Near Chhoti Devi Temple, Dist. Tikamgarh, MP Prior Environment Clearance for Expansion of Quartza Quarry in an area of 12.00 ha. (15000 TPA to 300000 TPA) per annum) (Khasra No. 993/2), Village - Dargawan, Tehsil - Tikamgarh, Dist. Tikamgarh (MP)

प्रकरण समिति की 650वीं बैठक दिनांक 08/06/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिंदुओ पर जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थेः–

1. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी ईसी का पालन प्रतिवेदन के अनुसार लगाये गये पौधो का विवरण/मेपिग वर्षवार कितने–कितने पौधे कहां–कहां लगाये है इसका विवरण प्रस्तुत करे साथ ही इनकी ड्रोन व्हीडियोग्राफी गारलेंड ड्रेन, भू–जल संरक्षण के कार्य, चेकडेम, गलीप्लग को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करे।
2. सी.एस.आर. योजना के अंतगर्त की गई गतिविधियों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें ।
3. जनसुनवाई के दौरान उठाए गये बिंदु जैसे खदानों से पत्थर गिरते है के संबंध में रिटेनिंग वॉल एवं कंट्रोल मफल ब्लास्टिंग एवं आवश्यक सेटवेक का प्रस्ताव देवे एवं इनको ई.एम.पी. योजना में शामिल करते हुए प्रस्तुत करे ।
4. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी ईसी का पालन प्रतिवेदन के अनुसार जो शर्ते अंशिक रूप से पूर्ण की गई है /अधूरी है उनके विषय में कार्य योजना प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 23/06/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति 661वीं दिनांक 20/07/23 को रखा गया, निम्न बिन्दुओं पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के लिये परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये :–

1. खदान क्षेत्र में वर्तमान स्थिति तक खोदे गये गड्ढ़ों की जानकारी एवं उनका क्षेत्रफल ।
2. खदान क्षेत्र में पिट–बार उत्पादन क्षमता ।

3. 2012 में प्राप्त की गई पर्यावरण स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य वर्षवार उत्पादन क्षमता तथा किया गया उत्पादन ।
4. सरफेस मेंप पर उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 – 3 तक दर्शाये जावे ।
5. पिट –ए का उत्पादन कब पूर्ण होगा उसका विवरण ।
6. खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराते हुए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के अंतगर्त खदान में कुल कितने पिट खोदे जायेगे उनका सरफेस मेप पर प्रस्तुत करे।
7. खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराते हुए खदान क्षेत्र का कुल खनन् योग्य क्षेत्र को सरफेस मेप पर दर्शाते हुए प्रस्तुत करे ।
8. खनन् योजना के अनुसार केवल पिट –ए में ही खनन् कार्य किया जावेगा इस तथ्य का परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन पत्र ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 14/08/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 01/09/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री ब्रजेश सोनी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता विस्तार क्वार्ट्ज–15,000 टीपीए से 3,00,000 टीपीए.
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.15 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.83 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 3.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
White washing and Repairing of Dargawan Primary School.	30000/-
as per ADM Instruction:- 02 Nos Handpump in Dargawan Village.	100000/-
as per PH demand:- Drainage Drains in Villages Dargawan,.	50000/-
as per RO PCB Instruction:- Separate toiles for Male & Female – 2 Nos.	50000/-
as per EC conditions:- Solar Panel installed in SHC and Primary School Dargawan.	80000/-
Total	310000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, शीसम्, आवला, नीम, पीपल, केथ, जंगल जलेबी, सिस्सू, चिरोल, सीताफल आदि।	2200
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01. 5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– नीम, चिरोल, सिस्सू, केथ ा, कदम, सीताफल आदि।	100
3	ग्राम दरगवां के नजदीक स्थित प्राथ मिक उपचार केंद्र में (पूर्ण सुरक्षा स हित)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, कदम, जामुन, गुलमोहर, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि।	300
4	ग्राम दरगवां एवं पराखास के नज दक स्थित ग्राम पंचायत में(ट्री गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आवला, कदम, जामुन, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि।	300
5	ग्राम दरगवां एवं पराखास समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– मुनगा, आम, जामुन, सी ताफल, अनार, निम्बू, अमरुद, कटहल, आमला आदि।	1900
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			
		कुल	**4800**

4. <u>Case No 9970/2023 Shri Yogendra Tomar, Lease Owner, R/o A/131, Ward-22, Phase-3, SPM Colony, District-Hoshangabad (MP)-461001, Prior Environment Clearance for Rampura Chikaldi Stone Mine in an area of 2.00 ha. (22800 cum per year) (Khasra No. 42/1/1), Village-Chakaldi, Tehsil-Nasrullaganj, District-Sehore (MP)</u>

प्रकरण समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुथा था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के पश्चात प्राकृतिक नाले के परिपेक्ष्य में आवश्यक स्थानवार मापदण्ड छोड़ने के पश्चात् पुनरिक्षित सर्फेस मेप के साथ यह भी स्पष्ट करें कि सेटबेक छोड़ने के पश्चात उपलब्ध खदान क्षेत्र मे आवेदित मात्रा हेतु उपलब्ध हो सकेगी?

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की 666वीं दिनांक 04/08/23 को रखा गया, जिसमें पाया कि खदान क्षेत्र में से जो प्राकृतिक नाला निकल रहा है, जिसके संरक्षण हेतु स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन् क्षेत्र नहीं छोड़ा गया है,

अतः प्राकृतिक नाला स्थानवार मापदण्ड के अनुसार गैर खनन् क्षेत्र दर्शाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप पुनः प्रस्तुत करें ।
प्रकरण आज सेक की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

5. Case No 8099/2021 M/s Italian Marble, Gautam Mohalla, Jalpa Devi Ward, Dist. Katni, MP - 483501 Prior Environment Clearance for Marble Mine in an area of 8.21 ha. (57,390 cum per annum) (Khasra No. 406, 417), Village - Pondi, Tehsil - Dhimarkhera, Dist. Katni, (MP) M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.

प्रकरण समिति की पूर्व 548वीं बैठक दिनांक 10/02/22 के द्वारा मार्बल एवं सेलेबल रिजेक्ट–57,390 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जा चुकी है ।

सिया की 762वीं बैठक दिनांक 27/12/22 को प्रकरण को निरस्त किया गया था । सिया की 783वीं बैठक दिनांक 03/05/23 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे द्वारा दिनांक 17/05/23 को प्रस्तुत आवेदन को मान्य करते हुए नो ब्लास्टिंग का शपथ पत्र, कलेक्टर द्वारा निर्मित वैकल्पिक मार्ग के दस्तावेज मय फोटोग्राफ, ईआईए, जन सुनवाई, अनुमोदित माइन प्लांन व सभी दस्तावेजों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर पुनः आवेदन करने का निर्णय लिया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार नो ब्लास्टिंग का शपथ पत्र, कलेक्टर द्वारा निर्मित वैकल्पिक मार्ग के दस्तावेज मय फोटोग्राफ, ईआईए, जन सुनवाई, अनुमोदित माइन प्लांन व सभी दस्तावेजों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर पुनः प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर सिया ने दिनांक 19/07/23 को प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 01/09/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अरूण शुक्ला (ऑनलाईन–अधिकृत प्रतिनिधि) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा), कटनी के पत्र क्रमांक 1602 दिनांक 04/07/2022 का संदर्भ देते हुए **कार्यालय तहसीलदार का प्रतिवेदन एवं लेटेस्ट फोटोग्राफ जी. पी. एस. रीडींग प्रस्तुतीकरण में संलग्न किया है। पत्र में** उल्लेख किया कि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित ग्रामीण मार्ग को बाहर से निकालने की सहमति के आधार पर पट्टाधारी के द्वारा **खसरा नं0 414, 415 से व 417 से सड़क का निर्माण किये जाने का सत्यापन किया गया। मौका अनुसार खदान क्षेत्र की सीमा–पिलर के बाहर नवीन सड़क का निर्माण किया गया तथा पुरानी सड़क मार्ग का उपयोग नहीं किया जा रहा है।**

तहसीलदार स्लीमनाबाद द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 22/04/2022 में प्रतिवेदित किया गया है कि मौंके में वर्तमान में ख**सरा नं0 414, 415 से व 417 के बाहर उत्तर–पूर्व से पक्की सड़क का निर्माण है व पौड़ी–पिपरिया आवागमन सुचारू है।**

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन योजना के पेज –15 माईनिंग मेथड में ब्लास्टिंग का उल्लेख नहीं है, किन्तु त्रुटिवश खनन योजना में एक जगह माईनर ब्लास्टिंग का उल्लेख है।इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने नो ब्लास्टिंग का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण को पूर्व 548वीं बैठक दिनांक 10/02/22 के द्वारा मार्बल एवं सेलेबल रिजेक्ट–57,390 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जा चुकी है, को यथावत रखने का निर्णय लिया गया ।

6. <u>Case No 10225/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Atri Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 455), Village-Atri, Tehsil-Khairlanji, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लश्कर. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	455 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.0ha.
स्थल	Village Atri, Tehsil Khairlanji District Balaghat Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान चनई नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा हुआ है एवं 180 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया	

	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 645 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 645 दिनांक 03/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 645 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अतरी जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक 21/03/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–98 के सरल क्रमांक–48 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–72,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 36,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान चनई नदी में स्थित है, जिसका आंशिक भाग पानी डूबा हुआ है एवं 180 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। खदान क्षेत्र डाउन स्ट्रीम पर स्थित हैं, सेंड माईनिंग गाईडलाइन्स वर्ष 2016 एवं 2020 के अनुसार 500 मीटर का नॉन माईनिंग छोड़ने के पश्चात खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता हैं। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

7. **Case No 10186/2023 Shri Ashutosh Agrawal, Owner, R/o 4/2, Dwarakapuri, Nutan Nagar, District-Khargone (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Akavalya Stone (Gitti) & M-Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-20000, M-Sand-30000 cum per year) (Khasra No. 812/1, 812/2, 812/3), Village-Akavaliya, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अशुतोष अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ASHUTOSH AGRAWAL, Owner, 4/2, Dwarakapuri, Nutan Nagar, Dwarakapuri, Khargone (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	812/1, 812/2, 812/3 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectares.
स्थल	ग्राम AKAVALIYA तसहील Khargone जिला Khargone (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 8216 दिनांक 02/09/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति वर्ष 2021 में उक्त प्रकरण को प्राप्त हुई थी। ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	सिया के पत्र क्रमांक 918 दिनांक 24/05/21 द्वारा पत्थर–20,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार पत्थर–20,000 घनमीटर/वर्ष से 50,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर–20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–30,000 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–30,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 512 दिनांक 25/01/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 512 दिनांक 25/01/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 512 दिनांक 25/01/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अकावल्य जिला खरगौन के पत्र दिनांक 16/07/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड लगे है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर क्रेशर प्लांट स्थित हैं। उत्तर पूर्व दिशा– कच्चा रोड़–16 मी. एवं उत्तर पश्चिम दिशा 60 मी., शेड– 26 मी.
	दक्षिण दिशा– प्राकृतिक नाला–193 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–58 के सरल क्रमांक–72 पर दर्ज है ।

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि उक्त प्रकरण क्षमता विस्तार पत्थर–20,000 घनमीटर/वर्ष से 50,000 घनमीटर/वर्ष (पत्थर–20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–30,000 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–20,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–30,000 घनमीटर/वर्ष है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरण सलाहकार द्वारा क्षमता विस्तार के संबंध में तथ्यात्मक उत्तर नहीं दे सके। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सेक की आगामी बैठकों में प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

8. <u>Case No 10226/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Jaramohgaon Sand Quarry in an area of 4.30 ha. (64500 cum per year) (Khasra No. 457), Village-Jaramohgaon, Tehsil-Katangi, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लश्कर. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	457 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.300 ha.
स्थल	Village Jaramohgaon, Tehsil Katangi District Balaghat Madhya Pradesh.	

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान चंदन नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, एवं 450 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 1.99 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.30 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–64,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–64,500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 632 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 632 दिनांक 03/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 632 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जरामोहगांव जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–93 के सरल क्रमांक–53 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–1,08,360 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 64,500 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बालाघाट द्वारा अपने पत्र. क्र0. 1012 दिनांक 01/09/23 खदान क्षेत्र के नवीन अतिरिक्त एवं

संशोधित अक्षांश–देशांश प्रस्तुत किये गये। संशोधित सूची पत्र के साथ संलग्न की गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि चंदन नदी मौसमी नदी है, जिससे उक्त खदानो में वर्षा समाप्त हो जाने पर जल सूख जाता है तथा खदान क्षेत्रों में नदी का पानी सूख जाने के बाद ही खनन कार्य किया जाता है। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बालाघाट द्वारा अपने पत्र. क्र0. 1011 दिनांक 01/09/23 भी प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–64,500 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारे मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.14 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 07.37 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सीईआर मद से 60,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति ग्राम जरामोहगाव के खाते में जमा की जावेगी ।	**60,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5160 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**नदी के किनारों पर (नदी**	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	1730

	तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	4–5 पंक्ति – कटंग बांस	500
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	240
2	ग्राम– जरामोहगाव के ग्रामवासी यों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2560
3	परिवहन मार्ग (350 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्था नीय प्रजातियां (ट्री गार्ड के साथ)	130

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**5160**

9. <u>Case No 10206/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Chandori Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (40500 cum per year) (Khasra No. 21), Village-Chandori, Tehsil-Waraseoni, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लश्कर. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A),

/ का नाम व पता	Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	21(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.50 ha.
स्थल	Village Chandori, Tehsil Waraseoni District Balaghat (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान **चन्दोरी** नदी में स्थित है एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, नदी का भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 2.25 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.25 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–40,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–40,500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाटर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 671 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदाने संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2. श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाटर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 671 दिनांक 03/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाटर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 671 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिका परिषद् वारासिवनी जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 22/03/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–95 के सरल क्रमांक–14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–81,000 उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–40,500 घनमीटर/वर्ष	

	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–40,500 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारे मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.47 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 07.20 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सीईआर मद से 50,000 रुपये की ग्राम चंदौरी के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी ।	**50,000**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)**	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	**1500**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	**450**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम , गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	**300**
2	ग्राम– चंदौरी के ग्रामवासियों में	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल	2900

	वितरण हेतु	अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	
3	परिवहन मार्ग (250 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड के साथ)	250
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
	योग		**5400**

10. <u>Case No 10224/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Prior Environment Clearance for Bakodi Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (40500 cum per year) (Khasra No. 01), Village Bakodi, Tehsil Khairlanji District Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लश्कर. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.500 ha.
स्थल	Village Bakodi, Tehsil Khairlanji District Balaghat Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–	

	2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान चंदन नदी में स्थित है, जिसका आशिंक. भाग पानी डूबा हुआ है जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण 1.80 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.70 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–40,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–40,500 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 643 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 643 दिनांक 03/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 643 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान एवं जलीय निकाय स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बकोड़ी जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–97 के सरल क्रमांक–40 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–81,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–40,500 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बालाघाट द्वारा अपने पत्र. क्र0. 1012 दिनांक 01/09/23 द्वारा खदान क्षेत्र के नवीन अतिरिक्त एवं संशोधित अक्षांश–देशांश प्रस्तुत किये गये। संशोधित सूची पत्र के साथ संलग्न की गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि चंदन नदी मौसमी नदी है, जिससे उक्त खदानो में वर्षा समाप्त हो जाने पर जल सूख जाता है तथा खदान क्षेत्रों में नदी का पानी सूख जाने के बाद ही खनन कार्य किया जाता है। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला

बालाघाट द्वारा अपने पत्र. क्र0. 1011 दिनांक 01/09/23 भी प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत– रेत–40,500 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारे मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.60 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 07.27 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सीईआर मद से 50,000 रुपये की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम बकोडी के प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	**50,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)**	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	**1500**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	**470**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम , गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	**200**
2	ग्राम– बकोडी के ग्रामवासियों	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल	3100

	में वितरण हेतु	अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	
3	परिवहन मार्ग (400 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	130
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
	योग		**5400**

11. <u>Case No 10222/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Lawani Sand Quarry in an area of 1.822 ha. (22957.2 cum per year) (Khasra No. 473), Village-Lawni, Tehsil-Khairlanji, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लश्कर. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	473 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.822 ha.
स्थल	ग्राम LAWNI तसहील Khairlanji जिला Balaghat (म.प्र.)	

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान वैनगंगा नदी में स्थित है, जिसका आशिंक भाग पानी डूबा हुआ है जिसका आंशिक भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण 0.720 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.09 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–22,957.2 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–22,957.2 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 650 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 650 दिनांक 03/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 650 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्थान है, अन्य शेष 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खैरलाजी जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 28/03/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–97 के सरल क्रमांक–39 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–32,796 टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 22,957.2 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–22,957.2 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारे मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.35 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 06.87 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सीईआर मद से 30,000 रुपये की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम लावनी के शासकीय प्राथमिक भाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी	**30,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2190 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)**	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	**550**
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	**200**
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम , गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	**100**
2	ग्राम– लावनी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1060
3	परिवहन मार्ग (1000 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड के साथ)	280

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।	
योग	**2190**

12. <u>Case No 10228/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Chhindlai Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (54000 cum per year) (Khasra No. 21/1), Village-Chhindlai, Tehsil-Lalbarra, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लश्कर. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	21/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.5ha.
स्थल	Village Chhindlai, Tehsil Lalbarra District Balaghat Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान वैनगंगा नदी में स्थित है, एंव रोड ब्रिज – 453 मी. अपस्ट्रीम मे है। अल्प भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण 1.80 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.70 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 625 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 625 दिनांक 03/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र होने के कारण संभागीय स्तर पर गठित वन समिति से अनुशंसा प्राप्त है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 625 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छिंदलई जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–12 दिनांक 09/03/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–99 के सरल क्रमांक–62 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–81,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 54,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बालाघाट द्वारा अपने पत्र. क्र0. 1012 दिनांक 01/09/23 द्वारा खदान क्षेत्र के नवीन अतिरिक्त एवं संशोधित अक्षांश–देशांश प्रस्तुत किये गये। संशोधित सूची पत्र के साथ संलग्न की गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अंक्षाश/देशांस के आधार पर प्रकरण को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में उपस्थित जिला खनिज अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में पुष्टि की गई ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि चंदन नदी मौसमी नदी है, जिससे उक्त खदानो में वर्षा समाप्त हो जाने पर जल सूख जाता है तथा खदान क्षेत्रों में नदी का पानी सूख जाने के बाद ही खनन कार्य किया जाता है। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला बालाघाट द्वारा अपने पत्र. क्र0. 1011 दिनांक 01/09/23 भी प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी

संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–54,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारे मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.06 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 07.04 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सीईआर मद से ग्राम छिंदलई के प्राथमिक स्वास्थय केंद्र प्रभारी की सहमति से 60,000 रुपये की राशि के स्वास्थय संबंधी उपकरण उपलब्ध करबाये जायेंगे ।	60,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)**	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	1400
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	400
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम , गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200

2	ग्राम– छिंदलई के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेअ चार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3270
3	परिवहन मार्ग (450 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्था नीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	130
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
	योग		**5400**

13. <u>Case No 10230/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Dadia Sand Quarry in an area of 4.900 ha. (31260 cum per year) (Khasra No. 397), Village-Dadiya, Tehsil-Lalbarra, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लश्कर. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011.	
खसरा नं./क्षेत्रफल	397(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.900 ha.

(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village Dadia, Tehsil Lalbarra District Balaghat Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1 / बी–2)	बी–1 / बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम / गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान वैनगंगा नदी में स्थित है, अल्प भाग पानी डूबा होने की वजह से सेटबेक छोडने के कारण 2.81 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.08 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–31,260 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–31,260 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 629 दिनांक 03 / 06 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 629 दिनांक 03 / 06 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 629 दिनांक 03 / 06 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ददिया जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 21 / 03 / 18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–99 के सरल क्रमांक–58 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–88,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 31,260 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–31,260 मी3 प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारे मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.18 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 07.50 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सीएसआर मद से 40,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम ददिया के शासकीय प्राथमिक भाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	40,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5880 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)**	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	800
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	300
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम , गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	100
2	ग्राम ददिया के ग्रामवासियों में	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल	4460

	वितरण हेतु	, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	
3	परिवहन मार्ग (900 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्था नीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	220
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा । ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।		
	योग		**5880**

14. <u>Case No 10229/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Salhe Sand Quarry in an area of 1.011 ha. (6672.60 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Salhe, Tehsil-Lalbarra, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लश्कर. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.011 ha.,
स्थल	Village Salhe, Tehsil Lalbarra District Balaghat Madhya Pradesh.	

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1/बी–2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सर्राटी नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, आशिंक भाग पानी डूबा होने के कारण कारण 0.40 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.60 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–6672.6 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–6672.6 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 626 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 626 दिनांक 03/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 626 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत साल्हे (मो.) जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 16/01/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–99 के सरल क्रमांक–60 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–18,198 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 6672.6 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–6672.6 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारे मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।

3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.32 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.77 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सीएसआर मद से 20,000 रुपये की राशि रोगी कल्याण समिति साल्हे के खाते में जमा की जावेगी ।	20,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1215 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)**	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	630
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	200
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम , गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	70
2	ग्राम– साल्हे के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल , अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	115
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	200

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधेँ STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे । ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा । • परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। • रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।	
योग	**1215**

15. <u>Case No 10223/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Bhalewada Sand Quarry in an area of 1.944 ha. (11664 cum per year) (Khasra No. 207), Village-Bhalewara, Tehsil-Balaghat, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लश्कर. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	207 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.944 hectares.
स्थल	ग्राम BHALEWARA तसहील Balaghat जिला Balaghat (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज	यह खदान महतारी नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, एवं 123 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–11,664 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–11,664 घनमीटर/वर्ष हेतु	

	स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 613 दिनांक 02/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 613 दिनांक 02/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 613 दिनांक 02/06/23 अनुसार मानव बसाहट 200 मीटर पर, पशु चिकित्सालय 100 मीटर पर एवं आंगनवाड़ी केन्द्र 200 मीटर पर स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भालेवाड़ा जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 26/01/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–94 के सरल क्रमांक–4 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–34,992 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 11,664 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान महतारी नदी में स्थित है, एवं खदान में से नदी की पतली धारा निकल रही है, एवं 123 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है, खदान क्षेत्र डाउन स्ट्रीम पर स्थित हैं, सेंड माईनिंग गाईडलाइन्स वर्ष 2016 एवं 2020 के अनुसार 500 मीटर का नॉन माईनिंग छोड़ने के पश्चात खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता हैं। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

16. <u>Case No 10227/2023 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-1A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal. Prior Environment Clearance for Dhapera Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (16000 cum per year) (Khasra No. 957), Village-Dhapera, Tehsil-Lalbarra, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री पूरन लश्कर. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी श्री सोहन सलामें भी उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri PURAN LAKSHKAR, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (M.P.) 462011.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	957(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 ha.
स्थल	Village Dhapera, Tehsil Lalbarra District Balaghat Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान वैनगंगा नदी में स्थित है एवं 342 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज है। भाग पानी डूबा होने के कारण एवं रोड़ ब्रिज के कारण 0.80 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.20 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–16,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–16,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 628 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 628 दिनांक 03/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 628 दिनांक 03/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धपेरा जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–11 दिनांक 26/01/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् ग्राम पंचायत को सौपे जाने का प्रस्ताव पारित ।	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–99 के सरल क्रमांक–61 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–36,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 16,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–16,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. नदी के किनारे मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.22 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 06.26 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
सीएसआर मद से 30,000 रुपये की राशि ग्राम धपेरा के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी ।	30,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**नदी के किनारों पर (नदी तट से 1**	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	1400

	से 6 पंक्तियों में)	4–5 पंक्ति – कटंग बांस	350
		6 पंक्ति – करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम , गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम– धपेरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल , अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	300
3	परिवहन मार्ग (500 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	150

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।

- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।
- रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

योग	**2400**

17. <u>Case No 10022/2023 Shri Anil, Owner, R/o Village-Bairagarh, Tehsil-Shyampur, District-Sehore (MP)-466651, Prior Environment Clearance for Kakariya Meena Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (10889 cum per year) (Khasra No. 784/1), Village - Kankariya, Tehsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा.) लि. नोयडा (उ.प्र.) एवं भूमि स्वामी श्री अरूण शर्मा सेक की 663 वीं बैठक दिनांक 27/07/2023 को उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना/क0/ संस्थान का नाम व पता	Shri Anil, Owner, R/o Village-Bairagarh, Tehsil-Shyampur, District-Sehore (MP)-466651, Prior Environment Clearance for Kakariya Meena Crusher Stone Quarry in an area of 1.74 ha. (15,000 cum per year) (Khasra No. 784/1), Village - Kankariya, Tehsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh (MP) [432889].

परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी कृर्षि भूमि खसरा न0. – 784/1, ग्राम – कनकारिया, तह.– नरसिंहगढ़, जिला–राजगढ़ (म.प्र.).	01.00 हेक्टेयर, (भूमि विक्रय अनुबंध दि0. 27/04/23 की प्रति संलग्न)
परियोजना की श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Stone Quarry	
खनन् कार्यः ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	कंट्रोल मफल ब्लास्टिंग की जावेगी। (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार)।	
प्रकरण की स्थिति (नया/क्षमता विस्तार)	नया	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **स्टोन – 10,889 मी^{3}/वर्ष** हेतु (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार) आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **स्टोन – 10,889 मी^{3}/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।	
सैद्वांतिक सहमति/LOI	पत्र क्र0. 268 दिनांक 12/04/2023.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 412 दिनांक 01/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नही है, जिनका कुल रकबा 1.74 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	वनसंरक्षक सामान्य वनमण्डल राजगढ़ के पत्र 412 दिनांक 01/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक 412 दिनांक 01/06/2023 अनुसार अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत कांकरिया, जिला राजगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 26/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन्	

	कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा– पक्का रोड – 215 एवं 248 मीटर
	दक्षिण–पश्चिम दिशा – 01 या 02 मकान 96 मीटर
	पूर्व दिशा– 01 या 02 मकान 300 मीटर
	पश्चिम दिशा– एक कच्चा रोड़ खदान के पश्चिमी सीमा से लग कर निकल रहा है जो पास के मकान दक्षिण पूर्व दिशा पर जाकर खत्म हो रहा है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 412 दिनांक 01/06/2023 द्वारा उल्लेखित है कि उक्त खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड़ी जावेगी।

प्रकरण का परीक्षण :–
समिति द्वारा नोटरी के माध्यम से प्रमाणित अनुबंध पत्र एवं खनन योजना का अवलोकन किया गया तथा परीक्षण उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी चाही गई :

1. पटवारी से 2–3 वर्ष का कृषि उत्पादन का ब्यौरा।
2. खदान से प्रमुख मार्ग तक पहुँचने हेतु प्रस्तावित परिवहन मार्ग में से जिन कृषकों के खेत लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने संबंधी प्रमाणित सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाये।
3. परिवहन मार्ग पर छिड़काव हेतु जल स्त्रोत की जानकारी के साथ पानी प्रदाय संबंधी ग्राम पंचायत से स्वीकृति पत्र।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 14/08/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 01/09/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा.) लि. नोयडा (उ.प्र.) एवं परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) उपस्थित हुए।

समिति द्वारा उपरोक्त संबंध में प्रस्तावित परिवहन मार्ग में से जिन कृषकों के खेत लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने संबंधी प्रमाणित सहमति पत्र/ शर्तो का पालन तथा पटवारी प्रतिवेदन देखा गया। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने के पूर्व कलेक्टर या उनके द्वारा निष्पादित अधिकारी के समक्ष अनुबंध प्रस्तुत किये जाने के पश्चात पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर **स्टोन – 10,889 मी^{3}/वर्ष** सक्षम अधिकारी से भू–स्वामित्व संबंधी सहमति प्राप्त कर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.16 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.00 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम ककरिया मीणा आंगनवाडी के प्रांगण मे पेवर ब्लाक लगवाना	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	बैरियर जोन	नीम, सिस्सु, करंज, चिरौल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	650
2	परिवहन मार्ग	नीम, करंज, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	150
3	गांव में वितरण	ऑवला, मुनगा, जामुन	400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जायें। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बन्ड पर स्थानीय बीज बोए जाकर उनका संरक्षण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणो में पौधो का वितरण के समय गाव का नाम लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेगे ।			
		कुल	1200

18. <u>Case No 10185/2023 Shri Rohit Yadav, Partner, M/s Shri Balaji Mines & Minerals, R/o 975, Akshay Russel Chowk, Napier Town, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Ghutiya Stone and M-Sand Quarry in an area of 1.30 ha.</u>

(Stone-7250, M-Sand-16920 cum per year) (Khasra No. 93P), Village-Khursi, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Rohit Yadav, Partner, M/s SHRI BALAJI MINES & MINERALS, 975, Akshay Russel Chowk, Napier Town, Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	93 Part (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड भू–स्वामी श्री पंचम कुलस्ते है, जिनकी सहमति पत्र ऑनलाईन उपलब्ध नहीं है)	1.3 Hectares
स्थल	ग्राम Khursi तसहील Jabalpurजिला Jabalpur (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 3650 दिनांक 31/03/23 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–24,170 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–7250 घनमीटर/वर्ष एवं एम.सेंड 16920 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 379 दिनांक 09/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 379 दिनांक 09/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है । आवेदित क्षेत्र आर.एफ. 173 से लगभग 5 मीटर दूर है । कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की अध्यक्षता में वन सीमा 250 मीटर की परिधि में आने वाले खनि रियायत प्रकरणों प्रकरण के निराकरण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13/10/22 में आवेदित क्षेत्र से स्वयं के व्यय पर आर. एफ. की बाउण्ड्री की ओर वृक्षारोपण करने, वृक्षारोपण का खदान अवधि तक संरक्षण करने तथा आर.एफ. 173 से 50 मीटर की दूरी छोड़कर आवेदित क्षेत्र	

	से 8 से 10 गेज की 4 इंच व्यास की जाली से चेनलिंग फेंसिंग (बिना बारबेट) के करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदान की गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 379 दिनांक 09/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तिखारी जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 28/01/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पठार पर स्थित है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर ने पत्र क्रमांक 378 दिनांक 09/06/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि आवेदित क्षेत्र आर.एफ. 173 से लगभग 5 मीटर दूर है । कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की अध्यक्षता में वन सीमा 250 मीटर की परिधि में आने वाले खनि रियायत प्रकरणों प्रकरण के निराकरण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 13/10/22 में आवेदित क्षेत्र से स्वयं के व्यय पर आर. एफ. की बाउण्ड्री की ओर वृक्षारोपण करने, वृक्षारोपण का खदान अवधि तक संरक्षण करने तथा आर.एफ. 173 से 50 मीटर की दूरी छोड़कर आवेदित क्षेत्र से 8 से 10 गेज की 4 इंच व्यास की जाली से चेनलिंग फेंसिंग (बिना बारबेट) के करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदान की गई है । उक्त संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि उपरोक्त शर्तो का पालन खनन कार्य संचालन के पूर्व सुनिश्चित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–7250 घनमीटर/वर्ष एवं एम. सेंड 16920 घनमीटर/वर्ष ।
2. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की अध्यक्षता में दिनांक 13/10/22 का पालन संचालन के पूर्व सुनिश्चित करें।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.78 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.73.लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक शाला घुटिया में 10 कुर्सिया की व्यवस्था	15,000
घुटिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	15,000
	30,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1300 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूलसिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	350
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत घुटिया	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450
4	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत घुटिया के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
5	ग्राम पंचायत घुटिया के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परि	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	50

	सर में		
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जायें। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना ।			
कुल			**1300**

19. <u>Case No 9253/2022 Shri Surendra Singh Saluja, Partner, M/s Madhya Pradesh Minerals Supply Company, 26/52, Alfartgand, Madhai ka Bagicha, B. D. Agrawal ward, Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Ochre, white Earth, & Bauxite Quarry in an area of 5.005 ha. (Bauxite - 44414 Tonne per annum, Ochre - 4224 Tonne per annum, OB - 7634 Tonne per annum) (Khasra No. 5, 7/3, 4/1, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 50), Village - Ghatania , Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री एन.पी.मिश्रा (ऑन–लाईन). एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Surendra Singh Saluja, Partner, M/S MADHYA PRADESH MINERALS SUPPLY COMPANY, 26/52, Alfartgand, Madhai ka Bagicha, B. D. Agrawal ward, Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	5, 7/3, 4/1, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 50 (सरकारी/निजी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.005 hectare.
स्थल	Village – Ghatania, Tehsil – Majhgawan & Dist.- Satna (M.P.)	
लीज स्वीकृति/लीज अनुबंध	लीज अनुबंध दिनांक 03/06/2022.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
टॉर	समिति की पूर्व की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को उत्पादन क्षमता Bauxite - 44414 Tonne per annum, Ochre - 4224 Tonne per annum, OB - 7634 Tonne per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Bauxite - 44414 Tonne per annum, Ochre - 4224 Tonne per annum, OB - 7634 Tonne per annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Bauxite - 44414 Tonne per annum,	

	Ochre - 4224 Tonne per annum, OB - 7634 Tonne per annum है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1196 दिनांक 13/06/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 20.781 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1196 दिनांक 13/06/22 अनुसार स्वीकृत खदान क्षेत्र से रानीपुर अभ्यारण्य (उ.प्र.) की सीमा 5026 मीटर दूरी पर है, शेष अन्य नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1196 दिनांक 13/06/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झाखौरा जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–20 दिनांक 21/01/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड है। Tree Felling - No.
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा– आबादी–250 मी.
	पूर्व दिशा– खदान की पूर्वी भाग से कच्चा रास्ता निकल रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह गैर खनन क्षेत्र रहेगा।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई में जल छिडकाव, धूल की समस्या, वृक्षा रोपण, पानी व्यवस्था इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खदान मुख्य खनिज होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है ।

प्रस्तुततिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान के उत्तर पश्चिम दिशा में 250मीटर पर अबादी/बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के पूर्वी भाग से होकर कच्चा रास्ता निकल रहा है। इस संबंध में इनके सरंक्षण हेतु लीज परिधि में वृक्षारोपण का प्रस्ताव है जिससे आसपास के क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा लीज क्षेत्र की परिधि में मालाकार नाली का प्रस्ताव है जिससे लीज का पानी बहकर नाले में नहीं जाएगा। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ 50–50मी का बैरियर झोन छोड़ा जाएगा जिसमें वृक्षारोपण किया जाएगा एवं उत्खनन के लिए छेदन कार्य एवं विस्फोटन कार्य भी नहीं किया जाएगा। लीज क्षेत्र में 10–12 पलाश की वृक्ष हैं, जिसमें से कोई वृक्ष काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Bauxite - 44414 Tonne per annum, Ochre - 4224 Tonne per annum, OB - 7634 Tonne per annum.
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 32.48 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 12.66.लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 11.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	**Issues**	**Cost in lakh**
1	Establishment of Nursery of Birsamunda Self Shelp Group of Baka and nearby villages with provision of 1,00,000 plants (The know how for development of nursary shall be provided by forest department / Horticulture Department and after establishment the plants shall be purchased from them as per the given plantation scheme) . Rotaion money be used by Samiti for future plant prepartionand and sell.	Rs 7.00
2	Establishment of Achar Process Plant (अचार–गुठली संयंत्र की स्थापना) at Baka village along with arrangement of training and marketing , shade	Rs 5.00
Total		**Rs 12.00**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Phase	**Location**	**Name of Tree**	**No. of Pl ants**
1st year	In barrier zone (1 677m)	Chirol, Karanj, Pipal, jangle Jalebi, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species	2000
2nd year	In barrier zone (1 677m)	Chirol, Karanj, Pipal, jangle Jalebi, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species, Achar	1500
3rd year t o CP	backfilled area	Chirol, Karanj, Pipal, jangle Jalebi, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species	1000
		Fruit plant Distribution	1500
		Total	**6000**

20. <u>Case No 10183/2023 Shri Amit Bhawsar, Proprietor, M/s Sundaram Suppliers, R/o Khargone District-Khargone (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Mominpura Crusher Stone and M-Sand Quarry in an area of 2.853 ha. (Stone-Gitti-</u>

10080, M-Sand-7020 cum per year) (Khasra No. 05), Village- Mominpura, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमित भावसार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और
उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri AMIT BHAWSAR, PROP., M/S SUNDARAM SUPPLIERS, KHARGONE DISTRICT KHARGONE (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	5 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.853 hectares
स्थल	Village - Mominpura, Tehsil - Khargone, District-Khargone (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 9813 दिनांक 29/03/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगौन के पत्र क्रमांक 208 दिनांक 18/10/17 के द्वारा 17,100 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता 17,100 घनमीटर/वर्ष (पत्थर–10,080 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–7,020 घनमीटर/वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 17,100 घनमीटर/वर्ष (पत्थर–10,080 घनमीटर/वर्ष एवं एम–सेंड–7,020 घनमीटर/वर्ष) है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 196 दिनांक 04/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.853 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2. श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 196 दिनांक 04/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 196 दिनांक 04/05/23 अनुसार क्रेशर के मजदूरों के लिए कच्चे टप्पर बने है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिका परिषद्, खरगौन जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 1919 दिनांक 14/02/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से निकाय को कोई आपित्त नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र खुदा हुआ हैं।
	दक्षिण दिशा – प्राकृतिक नाला 150 मी. एवं दक्षिण पश्चिम दिशा– शेड– 95 मी.
	पूर्व दिशा– आबादी– 72 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–53 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से 18/10/17 को जारी हुई है एंव खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का पालन होना चाहिऐ था । अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तो के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तो का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

21. <u>Case No 9269/2022 Shri Surendra Singh Saluja, Partner, M/s Madhya Pradesh Minerals Supply Company, 26/52, Alfartgand, Madhai ka Bagicha, B. D. Agrawal ward, Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Bauxite, Laterite, Ochre, & White Earth Mine in an area of 15.78 ha. (Bauxite - 35273 Tonne per annum, Laterite - 4294 Tonne per annum, Ochre - 5040 Tonne per annum, Mineral Reject - 9370 Tonne per annum, Overburden - 4410 cum per annum) (Khasra No. 43(P)), Village - Kumhra Judwani, Tehsil - Semariya, Dist. Rewa (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री एन.पी.मिश्रा अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Surendra Singh Saluja, Partner, M/S MADHYA PRADESH MINERALS SUPPLY COMPANY, 26/52, Alfartgand, Madhai ka Bagicha,

परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	B. D. Agrawal ward, Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	43(P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	15.78 hectare.
स्थल	Village - Kumhra Judwani, Tehsil - Semaria & Dist.- Rewa (M.P.).	
लीज स्वीकृति/लीज अनुबंध	लीज अनुबंध दिनांक 09/03/17.	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
टॉर	समिति की पूर्व की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 को उत्पादन क्षमता Bauxite - 35273 Tonne per annum, Laterite - 4294 Tonne per annum, Ochre - 5040 Tonne per annum, Mineral Reject - 9370 Tonne per annum, Overburden - 4410 cum per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग कार्य प्रस्तावित नहीं है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Bauxite - 35273 Tonne per annum, Laterite - 4294 Tonne per annum, Ochre - 5040 Tonne per annum, Mineral Reject - 9370 Tonne per annum, Overburden - 4410 cum per annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Bauxite - 35273 Tonne per annum, Laterite - 4294 Tonne per annum, Ochre - 5040 Tonne per annum, Mineral Reject - 9370 Tonne per annum, Overburden - 4410 cum per annum है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2294 दिनांक 24/06/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 43.095 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2294 दिनांक 24/06/22 अनुसार आवेदित स्थल से 5.2 कि.मी. में उत्तरप्रदेश की सीमा में रानीपुर अभ्यारण्य स्थित है, शेष अन्य नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2294 दिनांक 24/06/22 अनुसार 500 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट, प्राथमिक शाला एवं कच्चा एवं पक्का रास्ता है, शेष अन्य नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुम्हरा जुड़वानी जिला रीवा के पत्र दिनांक 02/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान में महूआ, छूला, सेझा, सुबबूल, नीम प्रजाति के करीब 35 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान के बीच से भी कच्चा रोड निकल रहा हैं एवं खदान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर तथा पूर्वी भाग से लगकर रोड़ निकल रहा है
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई में माईनिंग के चारों तरफ जल निकासी की समुचित व्यवस्था , माईनिंग से निकलने वाले धूल एवं कचरे का उचित प्रबंधन, पानी की उचित व्यवस्था, रोड़ का रखरखाव, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार प्रशिक्षण इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खदान मुख्य खनिज होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है ।

खदान के बीच से भी कच्चा रोड निकल रहा हैं, प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर तथा पूर्वी भाग से लगकर रोड़ निकल रही है,अत इसका संरक्षण हेतु मार्ग के दोनों ओर 45मी–45मी की दूरी छोड़कर कार्य किया जाएगा एवं मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अलावा खदान में छेदन एवं विस्फोटन का कार्य भी नहीं किया जाएगा ।

समिति परीक्षण उपरांत पाया कि खदान क्षेत्र के आस–पास कुल 06 खदाने विगत् वर्ष में स्वीकृत हुई थी जिनमें पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हुई थी अतः पूर्व में स्वीकृत एवं संचालित खदानो के पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो विशेष रूप से वृक्षारोपण सीईआर की शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा ।

22. <u>Case No 10079/2023 Shri Som Garg, Owner, R/o, 213, Clurk Colony, District-Indore (MP)-452011, Prior Environment Clearance for Stone – 66,229 cum per year in an area of 4.00 ha. Stone Quary (66229 cum per year) (Khasra No. 131/1/1/2), Village-Depalpur, Tehsil- Depalpur, District-Indore (MP)</u>

प्रकरण सेक की 673वीं बैठक दिनांक 18/03/23एवं 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित नहीं रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

23. <u>Case No 10361/2023 M/s Alliance Associates, Partner, R/o Village 250A, Lotus City, Panna Road, District-Satna (MP)-485001, Prior Environment Clearance for Gunai</u>

Khalsa Gitti, Boulder and M-Sand Quarry in an area of 6.50 ha. (260300 TPA) (Khasra No. 311), Village-Gunaikhalsa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/2023 को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्यूशन, नोएडा (उ.प्र.) (ऑन–लाईन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	M/s ALLIANCE ASSOCIATES, Villa 250A, Lotus City, Panna Road, Satna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	311 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	6.5 hectare.
स्थल	Village – Gunai Khalsa, Tehsil- Ujjain, District – Ujjain (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 16003–15 दिनांक 25/11/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.–14 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा गिट्टी, बोल्डर एवं एम–सेंड– 2,60,300 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार गिट्टी एण्ड बोल्डर–78,090 टीपीए एवं एम–सेंड–1,82,210 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 50 दिनांक 05/01/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 41.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 50 दिनांक 05/01/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 50 दिनांक 05/01/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/	

	नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुनई खालसा जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक 19/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र खुदा हुआ हैं।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन ने पत्र क्रमांक 1555 दिनांक 27/06/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत उक्त खदान को नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का कोई पालन परिलक्षित नही दिख रहा है, अतः भविष्य मे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01–02 वर्ष मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का पालन करेंगे।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

24. Case No 10364/2023 Shri Ashok Mishra, Owner, H.No. 235, Bachhaun, Tehsil-Chandla, District-Chhatarpur (MP)-471515, Prior Environment Clearance for Khairahi Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 02P), Village-Khairahi, Tehsil-Chandla, District-Chhatarpur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक मिश्रा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. (ऑन–लाईन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ASHOK MISHRA, OWNER, H.No.-235, Bachhaun, Tehsil Chandla, District - Chhatarpur, Madhya Pradesh - 471515	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	02 (Part) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village Khairahi, Tehsil Chandla, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 17249–58 दिनांक 16/12/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.–14 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर (गिट्टी)–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर (गिट्टी)–30,000 घनमीटर/ वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 898 दिनांक 28/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–.... श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 898 दिनांक 28/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250	

	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 898 दिनांक 28/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हथौहा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक 03/10/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– नहर 200 मी. पर हैं।
	पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाला खदान से लगा हुआ है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 898 दिनांक 28/04/23 अनुसार उक्त खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का कोई पालन परिलक्षित नही दिख रहा है, अतः भविष्य मे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01–02 वर्ष मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का पालन करेंगे।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

5. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

25. <u>Case No 10100/2023 Shri Anupam Soni, Proprietor, M/s A and J Hanumante Associates, Ward No. 03, Plot No. 01, Sakti Nagar, NH12, Mandideep, District-Raisen (MP)-462046, Prior Environment Clearance for proposed "Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 100 kg per hour with static klin" at Plot No.-19 & 24, Jambar Bagari Industrial Area, Tehsil & District-Vidisha, (M.P.). Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.</u>

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Biomedical Waste Treatment Facility for treatment of 100 kg per hour with static klin" at Plot No.-19 & 24, Jambar Bagari Industrial Area, Tehsil & District-Vidisha, (M.P.).
प्रकरण आज सेक की 666वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

The proposed project is for setting up of common bio-medical waste treatment facility and project falls under Category "B" Projects of activity 7(da) as per EIA Notification dated 14th September, 2006 and its subsequent amendments under Bio- Medical Waste Treatment Facilities. The online application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

The case was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services , Bhopal. and their representatives on behalf of PP Shri Anupam Soni, Proprietor (Online) on dated 01/09/23 wherein PP stated M/s. A & J Hanumate Associate is proposing

CBWT facility at Plot No 19 & 24 , Jambar Bagari Industrial Area, Dist. Vidisha (M.P.) has proposed Common Bio-medical Waste Treatment Facility (CBWTF). CBWTF is a set up where bio-medical waste, generated from a number of healthcare units, is suitably treated to reduce adverse effects that this waste may pose. The treated waste may finally be sent for disposal in a secured landfill or for recycling purposes. Proposed project of setting up of the Common Bio-medical Waste Treatment Facility for treatment of 100 kg per hour Static fixed Hearth kiln based bio medical incineration project , includes Incinerator, Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility.

The salint Fetures of the Project are as given blow:-

Sr. No.	Particulate	Description
1.	Name of the proponent with Address	M/S A&J HANUMANTE ASSOCIATE 91 Chandrika Society E-8 Arera Colony, Trilanga Bhopal (MP)
3.	Project capacity	Static Incinerator - 100 kg per hr
4.	Khasara No. & Location of the project	Plot no 85 P&H Lahgadua Industrial Area Dist. Chhindawada (M.P.)
6.	Operation days	365 days
7.	Fresh water Requirement	5 KLD
8.	Source of water	Tanker water supply
9.	Electricity Load and Source	63 KW
10.	DG	30 KVA
11.	Man-power	30 employee
12.	Total project cost	0.86 Cr.
13.	Land acquired	4545 sq mtrs
14.	Land required for proposed plant	465 sq mtrs
15.	Proposed area for plantation	1500 sqm
18	Capital Cost for Environmental measures (proposed)	74.25 lakhs
19	Recurring cost for environmental measures (Proposed)	4.85 lakhs

Details of Environmental Settings of the study area	
Particulars	**Details**

Locations	
A. Village	Jamwar-Bagri
B. Tehsil	Vidisha
C. District	Vidisha
D. State	MP
Toposheet No.	55E/14
Latitude Longitude	23°33'36.17"N-23°33'39.22"N 77°45'42.85"E-77°45'44.85"E
Coordinates	
General ground level	460m AMSL
Elevation range	Highest – 462m AMSL Lowest -458m AMSL
Nearest Highway	NH 146- 6.25m- SES NH346-0.75km- NNE
Nearest Railway Station	Vidisha- 6.75km- ESE

Environmental Setting Within 10 Km. Radius

Details of Environmental Settings of the study area	
Particulars	**Details**
Nearest Railway Station	Vidisha- 6.75km- ESE
Nearest Airport	Bhopal -53.25km
National park/Wild Life Sanctuaries within 10km radius	**None within 10km radius**
Reserved / Protected Forest within 10km radius (Boundary to boundary distance)	Raisen RF- 7.25km - SW
Nearest major city with 100000 population within 10km radius	Vidisha – 5.00km- SE
Nearest Town / City within 10km radius	Vidisha – 5.00km- SE
Surrounding village within 1 km area of the project.	Bagri- 0.25km- NNE
Nearest River	Betwa River – 3.50km- SE Besh Nadi- 1.75km- SE
Nearest Lake/ Ponds/nalla/canal	Sahodra Nala – 5.00km- N Talab – 1.25km- SW
Nearest Hill Ranges	None within 10km radius

Seismic Zone	Zone - III

Land Use of The Proposed Project :

Land use Break-Up for proposed unit	
Particulars	**Area**
Plant and Machineries	280Sqm
Office and administration	80Sqm
Waste storage area	300Sqm
Fuel storage area	10Sqm
Road	550Sqm
Green belt area	1500Sqm
Open Land	1825Sqm
Total	**4545 sqm**

Parameters	**Criteria**	**Observation**
Lake of Pond (Distance from SW body)	Should not be within 200 mt	No lake of pond is located within 200 mt from the site The nearest water body is Pond which is 1.25 km in SW direction
River	Should not be within 100 mt	The nearest river is Besh Nadi which is 1.75 km away from SW direction
Flood Plain	Should not be within 100 mt of flood plain	Not in a flood plain
Highway State or national	Should not be within 500 mt	The National Highway 346 - which is 0.75km away in NNE direction
Habitation – Notified Habituated area	Should not be within 500 mt	Nearest notified habitation is Bagri at 250 mtrs in NNE direction.
Public Park	Should not be within 500 mt`	No public park within 500 mt
Critical Habitat area in which one or more endangered species alive	Not suitable	There is no endangered spices in the site.

Proposed project of setting up of the Common Bio-medical Waste Treatment Facility for treatment of 100 kg per hour Static fixed Hearth kiln based bio medical Incineration project , includes Incinerator, Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility.

Following will be the capacity of the facility:

Sr. no.	Equipment	Number	Installed Capacity
1.	Static Fixed Hearth Kiln	01	100 kg per hr
2.	Autoclave	01	500 lit/cycle
3.	Shredder	01	100 kg per hr
4.	ETP	01	5 KLD

Total No. Of Bed Covered (Proposed)–			
S. No.	**District**	**No. Of Bed (Approx)/ Hcf**	**Quantity Of Waste**
1	Vidisha	2156 (2006 beds + 110 clinic + 10 Pathology)	501 kg/6kg = 507 Kg
	Total	**2156**	

The committee observed that **SEIAA has forward a complaint vide letter no. 960 dated 24.07.23 wherin mentioned that Dr Pranjal Patel, Director, Restorehealth Medicare Private Limited made a complaint regarding establishment of the said project adjacent to the food zone manufacturing industry.**

In their letter compainer that Dr Pranjal Patel stated **that as per rule in the Sector A, is reserved only for food processing unit can established in the MPIDC's Jambar Bagari Industrial Area, Tehsil & District-Vidisha, hazardous category industry can not established because CBWTF is coming under hazardous nature .**

The committee after discussion decided that PP shall submit following clarification / information:-

- Address and submit reply regarding issue raised in the complaint made by Dr Pranjal Patel, Director, Restorehealth Medicare Private Limited.
- The proposed CBWTF project is a pollutiong industries and the plot has been allotted in the food zone. The pollution caused from CBWTF may create adverse impact on the food manufacturing units. The authorites may be asked to inform regarding to remedial measures to be taken to counter such a situation.

26. Case No 10356/2023 Shri Arun Rajput, Owner, R/o Niwasi Sneh Nagar, Madhukar Shah Ward, District-Sagar (MP)-470002, Prior Environment Clearance for Luhari Crusher Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (30019 cum per year) (Khasra No. 1014), Village-Luhari, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP)

673वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 01 सितम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अर्जुन राजपूत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ARUN RAJPUT, Owner, NIWASI SNEH NAGAR, MADHUKAR SHAH WARD DIST-SAGAR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1014 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village: Luhari, Tehsil & District: Sagar (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 17948 दिनांक 29/12/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना के पेज क्रमांक–15 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–30,019 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–30,019 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 770 दिनांक 19/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 770 दिनांक 19/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 770 दिनांक 19/05/23 अनुसार 300 मीटर की परिधि में 3 एवं 4 मकान निर्मित है एवं पुराना नाला स्थित है । हबला पुहारी मार्ग है, शेष अन्य 500 मीटर में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लुहारी जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6. दिनांक 08/03/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Nill Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र खुदा हुआ हैं।
	दक्षिण पश्चिम दिशा– आबादी 392 मी.
	पूर्व दिशा– पक्का रोड 125मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर ने पत्र क्रमांक 748 दिनांक 15/05/23 द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिक्तायें पूर्ण करने के उपरांत उत्खनन् पट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा– आबादी 392 मी हैं एवं पूर्व दिशा– पक्का रोड 125मी. स्थित है। अतः परियोजना प्रस्तावक इसके संरक्षण की योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत करें ।
2. आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. खदान मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का कोई पालन परिलक्षित नही दिख रहा है, अतः भविष्य मे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01–02 वर्ष मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का पालन करेंगे।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।

9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

27. Case No 10332/2023 Shri Arvind Rajpur R/o Sneh Nagar, Madhukar Shah Ward, District Sagar (MP)-470002, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (30019 cum per year) (Khasra No. 271), Village-Mudiya, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 01/09/23 को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ARVIND RAJPUT, Owner, NIWASI-SNEH NAGAR MADHUKAR SHAH WARD DISTRICT-SAGAR (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	271 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village: Mudiya kalarai, Tehsil & District: Sagar (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र क्रमांक 17946 दिनांक 29/12/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं. 15 अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–30,019 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–30,019 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 769 दिनांक 19/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 09.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र	

अनापत्ति	क्रमांक 769 दिनांक 19/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 769 दिनांक 19/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/08/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है उत्तर पूर्व दिशा– आबादी 477 मी.
	दक्षिण दिशा– पक्की रोड 16 मी.
	पूर्व दिशा– पक्की रोड 223 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर ने एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 749 दिनांक 15/05/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण औपचारिक्ताये पूर्ण होने के उपरांत उत्खनन् पट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार उत्तर पूर्व दिशा में– आबादी 477 मी., दक्षिण दिशा में– पक्की रोड 16 मी., पूर्व दिशा में – पक्की रोड 223 मी. पर हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक इसके संरक्षण की योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत करें ।

2. आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. खदान मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का कोई पालन परिलक्षित नही दिख रहा है, अतः भविष्य मे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01–02 वर्ष मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का पालन करेंगे।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

28. <u>Case No 10342/2023 Shri Anand goenka R/o Goendka Bhavan, Station Road, District Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Manganese Ore Minein an area of 8.10 ha. (Expansion from 3430 TPA to 13580 TPA) (Khasra No. 523/1, 523/2, 523/3), Village-Pauniya, Tehsil-Katangi, District-Balaghat (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 03/09/23 को परियोजना प्रस्तावक आंनद गोयनका एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ANAND GOENKA. Proprietor, Goenka Bhavan, Station Road, Katni, Madhya Pradesh 483501	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	523/1, 523/2, 523/3 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	8.10 hectare
स्थल	ग्राम PAUNIYA तसहील Tirodi जिला Balaghat (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	खनिज साधान विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांम	

	एफ–3–36/92/12/2, दिनांक 23/07/10 द्वारा स्वीकृत।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1
नया/क्षमता विस्तार	यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैग्नीज ओर–3430 टीपीए से 13,580 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 03/10/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.027 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण (सा.) वन मण्डल बालाघाट 6993 दिनांक 20/09/22 अनुसार पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी की बफर रेंज अरी का वन क्षेत्र स्थित है, जिसकी दूरी लगभग 9 कि.मी. है, एवं अन्य शेष नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	तहसीलदार तिरोड़ी जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 471 दिनांक 08/08/22 अनुसार उत्खनिपट्टा से पक्का रास्ता लगकर है, 500 मीटर के अंदर मानव बसाहट, रेल्वे लाईन एवं नहर स्थित है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पौनिया जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है उत्तर दिशा– रेल्वे ट्रेक 47 मी.
	दक्षिण दिशा– पक्की रोड 16 मी.
	पूर्व दिशा– नहर 103 मी. एवं 183 मी., कुछ मकान 83 मी.
	पश्चिम दिशा– आबादी 143 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रकरण मुख्य खनिज का है, अतः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागे नहीं है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पश्चिम भाग में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार उत्तर दिशा में– रेल्वे ट्रेक 47 मी., दक्षिण दिशा में– पक्की रोड 16 मी., पूर्व दिशा में– नहर 103 मी. एवं 183 मी., कुछ मकान 83 मी.एवं पश्चिम दिशा में–आबादी 143 मी. पर हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक इसके संरक्षण की योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत करें ।
3. आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है अतः इसका संपूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (खनिज अधिकारी का प्रतिवेदन) के साथ प्रस्तुत किया जाये।

4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. खदान मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का कोई पालन परिलक्षित नही दिख रहा है, अतः भविष्य मे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01–02 वर्ष मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का पालन करेंगे।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

- **पूर्व में रेत खदानों के जिन प्रकरणों समिति द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें वर्णित शर्तो के परिपालन के संबंध में संबंधित जिले के खनिज अधिकारी, पुष्टि कराकर सिया को अवगत करावें तथा वर्तमान में जिन प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, उसमें वृक्षारोपण सी.ई.आर एवं अन्य शर्तो का परिपालन माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। पर्यावरण स्वीकृति शर्तो का परिपालन में देखना होगा।**
- As per **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) from the river…….bank shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.

(चंद्र मोहन ठाकुर)	**(डॉ. पी.सी. दुबे)**
सदस्य सचिव	**अध्यक्ष**

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.

9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through

concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
   - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
   - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
   - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
   - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
   - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
   - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
   - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुडाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।